रजि. सं. डी. (डी. एन.)-12 REGISTERED No. D. (D.N.)-12

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 354] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 1986/ भाद्रपद 12, 1908
No. 354] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 1986/BHADRA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 652 (अ):— केन्द्रीय सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

अध्याय— I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "प्रमाणपत्र" से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) "समिति" से धारा 9 के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कोई समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "सचिव" से धारा 7 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ज) "वर्ष" से 1 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में है।

अध्याय—2

प्राधिकरण

3. सदस्यों की पदावधि

धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

4. सदस्यता नामावली

सचिव, सदस्यों के नामों और उनके पतों का अभिलेख रखेगा।

5. पते में परिवर्तन

सदस्य, अपने पते में परिवर्तन की सूचना सचिव को देगा। यदि पते में परिवर्तन की सूचना देने में असफल रहता है तो सचिव द्वारा धारा 4 के अधीन रखे गए शासकीय अभिलेख का पता, सभी प्रयोजनों के लिए उसका पता समझा जाएगा।

अध्याय—3

अध्यक्ष और सचिव की शक्तियां और कर्तव्य

6. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य अध्यक्ष :—

(i) प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर करेगा;

(ii) प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य विहित करेगा और ऐसा पर्यवेक्षण करेगा और ऐसा अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा जो आवश्यक हो;

(iii) आकस्मिक व्यय, प्रदाय और सेवा तथा प्राधिकरण के कार्यालय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित वस्तुओं के क्रय के लिए मंजूरी देगा।

7. सचिव के कर्तव्य—सचिव

(1) प्राधिकरण के सभी अधिवेशनों में उपस्थित होगा और प्राधिकरण के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने में अध्यक्ष की सहायता करेगा;

(2) प्राधिकरण के अधिवेशनों की कार्यवाहियों और उन अधिवेशनों में किए गए विनिश्चयों का समुचित अभिलेख रखेगा।

(3) अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंधों के अनुसार निर्यातकर्ताओं के रजिस्टर का समुचित अभिलेख रखेगा;

(4) प्राधिकरण की ओर से अधिनियम के अधीन प्राप्त किए गए सब धन के लिए रसीद जारी करेगा;

(5) प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय का लेखा रखेगा या रखवाएगा; और

(6) प्राधिकरण के कार्यकरण के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने और उसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के पश्चात् उस तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् न हो केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होना।

अध्याय—4

वित्तीय विषयों से संबंधित प्राधिकरण की शक्तियां

8. उधार लेने की शक्तियां

प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्वमंजूरी से धारा 17 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय—5

रजिस्ट्रीकरण

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(1) अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, सचिव या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप 1 में किया जाएगा, जो पांच रुपए के संदाय किए जाने पर प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा, और उसके साथ किसी अनुसूचित बैंक का, आवेदक की वित्तीय प्रास्थिति से संबंधित एक, प्रमाणपत्र होगा।

(2) निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पचीस रुपए की फीस भी होगी।

10. प्रमाणपत्र देना

(1) प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, सचिव या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसी रीति से जांच कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे, और रजिस्ट्रीकरण को मंजूर या नामंजूर कर सकेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण नामंजूर कर दिया जाता है, वहां इस प्रकार नामंजूर करने के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा और उसकी एक प्रति आवेदक को दी जाएगी और आवेदक द्वारा संदत्त फीस उसे वापस कर दी जाएगी।

(3) जहां रजिस्ट्रीकरण को मंजूर कर दिया जाता है वहां सचिव या अन्य अधिकारी, प्ररूप 2 में प्रमाणपत्र जारी करेगा जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगा जो प्रमाण पत्र में उल्लिखित हैं।

11. प्रमाणपत्र का रद्दकरण

जहां सचिव या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने मिथ्या सूचना देकर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है या उसने इन नियमों के किसी उपबन्ध या प्रमाणपत्र में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन किया है, ऐसा कोई व्यक्ति जो निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुसूचित उत्पाद का जिसकी बाबत वह रजिस्ट्रीकृत है, लगातार बारह मास तक की अवधि के दौरान निर्यात करने में असफल रहता है, या यदि सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति निर्यातकर्ता के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गया है, वहां सचिव या ऐसा अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को, जो प्रमाणपत्र धारण करता है, अपने आक्षेप करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा और ऐसे आदेश की सूचना उसको देगा।

12. रजिस्टर

प्राधिकरण, अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकर्ताओं का एक रजिस्टर रखेगा।

13. विवरणी मांगने की शक्ति

अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रमाणपत्र के धारक को, अपने कारबार के ऐसे अभिलेखों को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए रखने और प्राधिकरण को अपने कारबार से संबंधित विवरणियों को ऐसे प्ररूप में जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।

अध्याय—6

14. प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद् के कर्मचारिवृन्द का आमेलन

प्राधिकरण की स्थापना पर ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद् में उस रूप में, पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 3 मास की अवधि भीतर प्राधिकरण के कर्मचारी होने के लिए अपनी रजामंदी अभिव्यक्त करने का विकल्प दिया जाएगा विकल्प प्ररूप 3 में होगा।

अध्याय—7

प्रकीर्ण

15. फीस का संदाय

अधिनियम या इन नियमों के अधीन प्राधिकरण को संदेय कोई फीस नकद, प्राधिकरण के पक्ष में लिखे गए मनी आर्डर द्वारा या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा या नई दिल्ली में स्थित किसी डाकघर में प्राधिकरण को भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा संदत्त की जाएगी।

[फा. सं. 11/5/86/ई. पी.-एग्री (4)]
डी. पी. बागची, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

(नियम 9 देखिए)

निर्यातकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

1. (क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, प्रधान कार्यालय और शाखाओं के नाम और पता (तार का पता और दूरभाष सं. सहित)

(ख) स्वत्वधारी/भागीदारी समुत्थान है या प्राईवेट पब्लिक लिमिटेड कं. है या सहकारी विपणन सोसाईटी, आदि है (भागीदारों/निदेशकों/प्रबंध निदेशकों/स्वत्वधारी के नाम, उनका पूरा पता सहित दिए जाने चाहिए)

(ग) उन सहयुक्त फर्मों के नाम जिनके लिए आवेदक, निर्यात कारबार में अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं।

2. (i) आवेदक के बैंकर का नाम और पता

(ii) वित्तीय स्थिति प्रमाणित करने वाले बैंकर का प्रमाणपत्र संलग्न करें।

3. (i) भारत में कारबार/कारखाने की स्थापना की तारीख

4. क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त है। डी जी टी डी उद्योग राज्य निदेशक या किसी अन्य आयोजक प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है। यदि हां, तो अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संख्यांक और तारीख उपदर्शित करें।

5. वे निर्यात उत्पाद, जिनकी बाबत रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है। (जैसा कि प्ररूप 2 के भाग 1 के क्रम सं. 5 के सामने सूचीबद्ध है)

6. यदि वणिक निर्यातकर्ता है तो कृपया उन विनिर्माताओं के साथ की गई व्यवस्था उपदर्शित करें जिनके उत्पाद निर्यात किए जाते हैं।

7. यदि किसी अन्य निर्यात संवर्धन परिषद्/वाणिज्य बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक तथा उस निर्यात उत्पाद जिसके लिए वह रजिस्ट्रीकृत है, नाम दें।

8. हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है और बिना किसी शर्त :

(i) हमारे सभी निर्माताओं के संबंध में हमें दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों का पालन करने,

(ii) आयात अनुज्ञप्तियों का उन प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वे जारी की गई है, और उन निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिनके अधीन वे जारी की गई है, उपयोग करने,

(iii) किसी ऐसी आचारसंहिता, जो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, का पालन करने के लिए सहमत होने,

(iv) निर्यात की मासिक विवरणियां जिनके अन्तर्गत अन्य विवरणियां भी हैं, निर्यात मास के आगामी मास की 15 तारीख तक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को अवश्य ही देने का वचनबंध करते हैं।

9. हमें इस बात की भी जानकारी है कि ऊपर उल्लिखित किसी वचनबंध के भंग होने की दशा में हमारा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

स्थान : भवदीय

तारीख : (हस्ताक्षर)

अक्षरों में नाम.....................

पदनाम.....................

प्ररूप 2

(नियम 10 देखिए)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप

भाग 1

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

1. आवेदक का नाम

2. आवेदक का पता

(i) डाक का पता

(ii) तार का पता

(iii) कारखाने का पता, यदि कोई हो

3. उपदर्शित करें कि क्या रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित की बाबत अपेक्षित है :

(क) मुख्य कार्यालय

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

(ग) शाखा कार्यालय

4. विनिर्मित उत्पादों (यदि कोई हो) का वर्णन :

5. निम्नलिखित में से निर्यात किए गए माल का वर्णन (जो लागू हो उसे टिक मार दें) :

1. फल, वनस्पति और उनके उत्पाद

2. मांस और मांस उत्पाद

3. कुक्कुट और कुक्कुट उत्पाद

4. डेरी उत्पाद

5. कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद

6. शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद ।
7. कोको और उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चोकलेट
8. मद्यसारिक और गैर मद्यसारिक पेय
9. अनाज उत्पाद
10. काजू, मूंगफली, पीनट और अखरोट
11. अचार, चटनी और पापड़
12. ज्वार, गोंद
13. उद्यान कृषि और पुष्प कृषि उत्पाद
14. जड़ी बूटी और औषधीय पौधे ।

6. क्या आप निम्नलिखित के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहते हैं :
(क) विनिर्माता-निर्यातकर्ता
(ख) वणिक निर्यातकर्ता

7. आवेदक के स्थापन की तारीख :

8. भागीदारों/निदेशकों/प्रबंध निदेशकों/स्वत्वधारियों के नाम :

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं/हम उन बातों का, जिनके अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण सदस्यता मंजूर की गई है, पालन करने का वचनबंध भी करता हूं/करते हैं ।

हस्ताक्षर

स्पष्ट अक्षरों में नाम :

पदनाम :

निवास का पता :

तारीख :

भाग 2

1. प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण सं./कारखाना सं
(आवेदक द्वारा भरा जाए)

आवेदक के हस्ताक्षर

2. विनिर्मित माल का वर्णन**
(डी जी टी डी की यूनिटों की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा और अन्य यूनिटों की दशा में प्रयोजक प्राधिकारी द्वारा भरा जाए)

**कृपया भाग 1 के क्रम सं. 5 में दिए गए वर्णन के अनुसार विनिर्मित माल उपदर्शित करें ।

रजिस्ट्रीकरण/प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्पष्ट अक्षरों में नाम :

पद नाम :

मुद्रा :

भाग 3

(संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है/है ।

(i) उस माल का वर्णन जिसके लि. वह रजिस्ट्रीकृत है
(ii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख
(iii) रजिस्ट्रीकरण सं.
(iv) विनिर्माता-निर्यातकर्ता या वणिक निर्यातकर्ता

यह प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण की सुसंगत स्कीम में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किया गया है ।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्पष्ट अक्षरों में नाम :

हस्ताक्षर :

मुद्रा :

प्ररूप 3

(नियम 14 देखिए)

प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विकल्प का प्ररूप

मैं, ...
..... (अधिकारी या अन्य कर्मचारी का नाम)
जो प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली में ———— के रूप में कार्य कर रहा हूं कृषि और (पदनाम) प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का अधिकारी/कर्मचारी होने के लिए रजामंद हूं ।
रजामंद नहीं हूं ।

2. मैं प्राधिकरण की पेंशन-सह-उपदान स्कीम द्वारा शासित होने का चयन करता हूं नहीं करता हूं ।

स्थान : प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन
तारीख : परिषद के अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

टिप्पण : जो लागू न हो उसे काट दें ।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 3rd September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 652(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER—I

Preliminary

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986);

(b) "Authority" means the Agricultural and Proceed Food Products Export Development Authority established under section 4;

(c) "Certificate" means certificate of registration;

(d) "Committee" means any of the Committees appointed by the Authority under Section 9;

(e) "Form" means a form appended to these rules;

(f) "Secretary" means the Secretary to the Authority appointed under section 7;

(g) "section" means a section of the Act;

(h) "Year" means the year commencing on the first day of April;

(i) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act.